32

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2272–एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30–05–2016 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील पोरसा जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 28/अ–6/2015–16.

.....

अमन कटारे पुत्र श्री अनूप कटारे ब्राहम्ण
निवासी वार्ड क्रमांक 2 हमीर पुरा पोरसा
तहसील पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

––– आवेदक

विरूद्ध

1–कैलाश नारायण कटारे पुत्र हरनारायण कंटारे
निवासी हमीर पुरा पोरसा तहसील पोरसा
जिला मुरैना म0प्र0 ––– अनावेदक क0–1/विकेता
2–राजेश तथाकथित पुत्र कैलाश नारायंण
3–कु0 बबली 4–कु0 दीप्ति 5–कु0 कोमल
पुत्रीगण राजेश 6– नितिन पुत्र राजेश द्वारा
संरक्षक राजेश तथा कथित पुत्र कैलाश नारायण
निवासीगण रामदास घाटी सुनार की बगिया
जेल रोड़ लश्कर ग्वालियर म0प्र0

–––अनावेदकगण/ 2 से 6 आपत्तिकर्ता

.....

श्री एस0 के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री ए0 के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक–1
श्री सुनील सिंह जांदौन,अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 03/11/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील पोरसा जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने अनावेदक कमांक–1 से पंजीकृत विकय पत्र द्वारा कय की गयी भूमि पर नामांतरण के लिये आवेदन दिया जिसमें अनावेदकगण राजेश आदि ने यह आपत्ति प्रस्तुत की, कि विकय पत्र बिना प्रतिफल के आपत्तिकर्ताओं के स्वत्व को विफल कने के लिये किया गया है जिसे व्यवहारवाद कमांक 10–ए/2016 में चुनौती दी गयी है। आपत्तिकर्ताओं ने संहिता की धारा–32 के अंतर्गत आवेदन देकर प्रार्थना की कि व्यवहार न्यायालय के निर्णय तक नामांतरण की कार्यवाही स्थगित रखी जाये। तहसीलदार ने आपत्तिकताओं के आवेदन को स्वीकार करते हुये नामांतरण की कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया है, जिसके विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक ने दिनांक 19.5.17 के आवेदन के साथ व्यवहारवाद कमांक 10–ए/2016 की आदेश पत्रिका दिनांक 9.6.16 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसके अनुसार आपत्तिकताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया, व्यवहारवाद प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अम्बाह ने विचाराधिकार न होने से आपत्तिकर्ता/वादीगण को वापस कर दिया है।

4–आवेदक एवं अनावेदकगण के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये, आवेदकगण के अधिवक्ता मुख्य तर्क है कि केवल व्यवहारवाद लंबितहोंने से नामांतरण की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है। उन्होंने आगे तर्क देते हुये कहा है कि जिस व्यवहारवाद कमांक 10–ए/2016 को आधार बनाकर तहसीलदार ने नामांतरण की कार्यवाही स्थगित की थी वह व्यवहारवाद अब लंबित नहीं है, इसलिये नामांतरण की कार्यवाही जारी रखने के निर्देश देते हुये यह निगरानी स्वीकार की जावे।

5– अनावेदक कमांक–1 विकेता के अधिवक्ता ने कहा कि उनके पक्षकार ने आवेदक को भूमि विकय की है। विकय पत्र स्वत्व के आधार पर किया गया है, इसलिये आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति अस्वीकार किये जाने योग्य थी।

6–अनावेदक कमांक 2 से 6 की ओर से अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा कि विक्रय पत्र से आपत्तिकताओं के अधिकार प्रभावित हुये हैं, विक्रय पत्र प्रतिफल रहित है जहां तक व्यवहार न्यायाधीश द्वारा उनका वाद वापस किये जाने का बिन्दु है उनका कहना है कि सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया गया है इस कारण नामांतरण की कार्यवाही स्थगित रखा जाना न्यायोचित है।

7–आपत्तिकर्ताओं के अधिवक्ता के तर्को का जबाव देते हुये आवेदक की ओर से तर्क दिया गया कि तहसीलदार न जिस व्यवहारवाद के कारण कार्यवाही स्थगित की थी वह वाद अब लंबित नहीं है इस कारण तहसीलदार का आदेश व्यर्थ हो गया है। आपत्तिकर्ताओं ने यदि कोई नया वाद प्रस्तुत किया है तब उसमें जब तक नामांतरण की कार्यवाही स्थगित रखने का निर्देश न दिया गया हो, नामांतरण की कार्यवाही स्थगित रखनाउचित नहीं है। उनका कहना है कि नामांतरण की प्रकिया अभिलेख को अद्यतन रखने के लिये है, यदि आपत्तिकर्ता अपने वाद में सफल होते हैं तब व्यवाहार न्यायालय का निर्णय राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होगा एवं निर्णय के अनुसार रजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि की जावेगी, इसलिये नामांतरण की कार्यवाही स्थगित रखने की आवश्यकता नहीं है।

8–सभी पक्षों की ओर से दिये गये तर्को पर विचार एवं मनन किया गया । आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन एवं उसके साथ संलग्न वयवाहर न्यायाधीश वर्ग–2 अंबाह की आदेश पत्रिका से स्पष्ट होता है कि जिस व्यवहारवाद के कारण तहसीलदार ने नामांतरण की कार्यवाही स्थगित की थी वह व्यवहारवाद कमांक 10–ए/2016 व्यवहार न्यायाधीश ने विचाराधिकार न होने के कारण वापस कर दिया, तर्को से यह भी स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ताओं, अनावेदक–2 से 6 में पुनः वाद प्रस्तुत किया दिया है, परन्तु उसमें नामांतरण की कार्यवाही स्थगित रखने संबंध कोई निर्देश नहीं है। **रजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने 1976 राजस्व निर्णय 407 में निर्धारित किया है कि सिविल न्यायालय में जाने से न तो तहसीलदार की नामांतरण की शक्ति पर बंधन लगता है, और न उसे कार्यवाही लंबित करने का अधिकार मिल जाता है।**

9–मेरे मतानुसार नामांतरण की कार्यवाही में संक्षिप्त जांच के पश्चात राजस्व न्यायालय कोकेवल यह निर्णय करना होता है कि जिस व्यक्ति ने नामांतरण की प्रार्थना की है उसे नामांतरण कराने का कोई वैद्यानिक अधिकार प्राप्त है, अथवा नहीं, नामांतरण का उददेश्य राजस्व अभिलेखें को अद्यतन रखना है। नामांतरण से न तो कोई स्वत्व प्राप्त होते हैं और ना ही किसी के स्वत्व समाप्त होते हैं।

10–उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पोरसा जिला मुरैना के प्रकरण कमांक 28/अ–6/2015–16 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 30.5.16 निरस्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि सभी पक्षों को सुनकर आवेदक के नामांतरण आवेदन का यथाशीघ्र निराकरण करें। यदि भविष्य में व्यवहार न्यायालय से पक्षकारों के स्वत्व के संबंध में कोई निर्णय होता है तब ऐसे निर्णय के अनुसार राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन किया जा सकेगा।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर